

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013पार्ट

जयपुर, दिनांक: 16-09-2020

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सारपंचों) के लिए घोषित किए गए आम चुनाव माह सितम्बर-अक्टूबर, 2020 (संलग्न सूची अनुसार) पूर्ण कराये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। चुनाव चार चरणों में सम्पन्न होगा। प्रथम चरण चुनाव दिनांक 28.09.2020 (सोमवार), द्वितीय चरण चुनाव दिनांक 03.10.2020 (शनिवार), तृतीय चरण चुनाव दिनांक 06.10.2020 (मंगलवार) तथा चतुर्थ चरण दिनांक 10.10.2020 (शनिवार) को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग-7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएँ।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुड़े सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ.7(1)(1)पंच/रानिआ/2019/II/ 7197

दिनांक 17.09.20

प्रतिलिपि: जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिराही एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव